न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:- 229/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. पीराराम पुत्र घमण्डाराम जाति विश्नोई निवासी पूनियों की ढाणी नौसर तहसील लोहावट		1. तहसीलदार लोहावट 2. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा औसियां

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- प्रार्थी अधिवक्ता श्री महीराम विश्नोई।

दिनांक 28.06.2024

-:: निर्णय ::

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम की खातेदारी की भूमि ग्राम पूनियाँ की ढाणी पटवार हल्का नौसर तहसील लोहावट में खेत खसरा नम्बर 950 रकबा 7.6728 हैक्टेयर किस्म बारानी 4 की भूमि स्थित है जिसकी जमाबन्दी नकल संवत् 2075 से 2078 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) वास्ते सबुत पेश है। प्रार्थी के खातेदारी की भूमि ग्राम पूनियो की ढाणी पटवार हल्का नौसर में स्थित है प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि मे नाम पीराराम पुत्र घमण्डाराम दर्ज है। तथा ग्राम इन्द्रनगर पटवार हल्का फतेहसागर में खेत खसरा नम्बर 722 की भूमि में प्रार्थी का नाम पीराराम पुत्र घमण्डाराम दर्ज है जो सही नाम दर्ज है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज में नाम पीराराम पुत्र घमण्डाराम है लेकिन ग्राम पुनियों की ढाणी पटवार हल्का नौसर के खेत खसरा नम्बर 950 रकबा 7.6728 हैक्टेयर भूमि की जमाबन्दी में भुल से पीराराम पुत्र घमण्डाराम की जगह पीराराम पुत्र शिवनाथराम लिख देने से ग्राम इन्द्रनगर व पुनियो की ढाणी की जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता का नाम अलग अलग हो जाने से प्रार्थी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकता है हर जगह कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसलिये प्रार्थी अपने नाम की खातेदारी भूमि ग्राम पूनियों की ढाणी पटवार हल्का नौसर में खसरा नम्बर 950 रकबा 7.6728 हैक्टेयर में पीराराम पुत्र शिवनाथराम की जगह पीराराम पुत्र घमण्डाराम शुद्धि करवाकर दर्ज करवाना चाहता है।

राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अगर किसी का नाम गलत रुप से दर्ज कर दिया जाता है तो धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम श्रीमान जी को लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से गलत रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का अधिकार प्राप्त है।

अप्रार्थी संख्या 1 भूमिधारी तहसीलदार लोहावट दुरुस्ती के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष मे प्रार्थी की भूमि रहन दर्ज होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम पूनियों की ढाणी पटवार हल्का नौसर तहसील लोहावट के खेत खसरा नम्बर 950 रकबा 7.6728 हैक्टेयर किस्म बारानी-2 में पीराराम पुत्र शिवनाथराम की जगह पीराराम पुत्र घमण्डाराम शुद्धिकरण करने का आदेश फरमावे।

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लोहावट से जवाब मय मौका रिपोर्ट पेश कर बताया कि ग्राम पूनियों की ढाणी पटवार मण्डल नौसर के खेत ख.नं. 950 रकबा 7.6728 हैक्टेयर भूमि में पीराराम पुत्र शिवनाथराम दर्ज है जो आदिनांक चल रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र आधार कार्ड, राशनकार्ड व जमाबन्दी अनुसार प्रार्थी पीराराम पुत्र घमण्डाराम करने की अनुशंसा की जाती है।

अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अंतिम बहस सुनी गई। बाद अवलोकन व मनन के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम पूनियों की ढाणी पटवार मण्डल नौसर के खेत ख.नं. 950 रकबा 7.6728 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम पीराराम पुत्र शिवनाथराम के स्थान पर सही नाम पीराराम पुत्र घमण्डाराम दर्ज किया जाता है। तहसीलदार लोहावट को आदेश दिया जाता है कि उक्त शुद्ध नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 28.06.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लोहावट

Scanned with CamScanner